न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र : 104/2024
निर्णय दिनांक : 17.05.2024

अशोक कुमार शर्मा वगै0

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर

<u>प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र बावत इन्द्राज दुरूस्ती 136</u>
<u>राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के कब्जे व काश्त की आराजी कृषि भुमि ग्राम मथुरावाला, पटवार हल्का विधाणी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोनेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में पुराना खाता संख्या 5 नया खाता संख्या 6 आराजी खसरा नम्बर 109 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 110 रकबा 0.300 हैक्टेयर कुल किता 2 कुर रकबा 0.4000 हैक्टेयर स्थित है। जिसके राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में प्रार्थीगण के पिता का नाम कानाराम दर्ज है। उक्त आराजी कृषि भूमि पर प्रार्थीगण काबिज व काश्त है। तथा उक्त आराजी कृषि भूमि प्रार्थीगण की पुस्तैनी कृषि भूमि है जिस पर प्रार्थीगण कब्जेकाश्त है। प्रार्थी संख्या 1 ता 6 के पिता व प्रार्थी संख्या 7 के पति का दिनांक 10.02.2024 को स्वर्गवास हो गया उसके उपरांत प्रार्थीगण ने उक्त खसरा नम्बरान् का नामांतरण खुलवाया तथा प्रार्थीगण ने जब जमाबंदी निकलवायी तो प्रार्थीगण को पता चला कि प्रार्थी संख्या 1 ता 6 के पिता व प्रार्थी संख्या 7 के पति का नाम राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिवश कन्हैयालाल के स्थान पर कानाराम अंकित हो गया है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर लिपीकीय त्रुटि दुरस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी संख्या 1 ता 6 के पिता तथा प्रार्थी संख्या 7. के पति का नाम कानाराम के स्थान पर कन्हैयालाल दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थीगण अधिवक्ता को सुना गया। दौराने बहस प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोह[illegible]

उभयपक्षकारान अधिवक्ता की बहस एवं पत्रावली [illegible] दस्तावेजात का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र [illegible]स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को को आदेश दिये जाते है कि प्र[illegible]गण आराजी कृषि भुमि ग्राम मथुरावाला, पटवार हल्का विधाणी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोनेर, तहसील

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.06 15:58:58 IST
Reason: SelfAttested

सांगानेर, जिला जयपुर में पुराना खाता संख्या 5 नया खाता संख्या 6 आराजी खसरा नम्बर 109 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 110 रकबा 0.300 हैक्टेयर कुल किता 2 कुर रकबा 0.4000 हैक्टेयर राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी संख्या 1 ता 6 के पिता तथा प्रार्थी संख्या 7. के पति का नाम कानाराम के स्थान पर कन्हैयालाल दर्ज किया जावें। उक्त आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.06 15:58:58 IST
Reason: SelfAttested